कार्यालय अंचल अधिकारी, चास (बोकारो)।

भू-मापी अभिलेख संख्या : 69 / 2017-18

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अ…
1	2	
14/11/17	**आदेश** आवेदक गुरु गोविन्द सिंह एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री तारसेम सिंह, पिता-स्व0 तारा सिंह, सा0-गुरुद्वारा कॉलोनी चास, थाना-चास, जिला-बोकारो द्वारा दिए गए आवेदन मे मौजा-काण्ड्रा, थाना सं0-51 के खाता सं0-277, प्लॉट सं0-1942, रकवा-02.43 ए0 भूमि का मापी के आवेदन पर वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। प्रश्नगत भूमि की मापी दिनांक 03.10.2017 को निर्धारित की गई है। उक्त पत्र के आलोक मे अंचल अमीन द्वारा मापी किया गया। अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-काण्ड्रा, थाना सं0-51 के खाता सं0-277, प्लॉट सं0-1942, रकवा-02.43 ए0 भूमि की मापी करने स्थल पर गया। स्थल पर आवेदक गुरु गोविन्द सिंह एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री तारसेन सिंह, पिता-स्व0 तारा सिंह अपने राजस्व कागजात के साथ उपस्थित थे। आवेदक को भूमि केवाला सं0 2008, दिनांक 23.02.2011 से खाता सं0 277, प्लॉट सं0 1942, रकवा-1.54½ ए0 भूमि है एवं केवाला सं0 3391 दिनांक 29.03.2011 खाता सं0 277, प्लॉट सं0 1942, रकवा-3.09 ए0 मे से 0.88½ ए0 भूमि कुल 2 केवाला द्वारा मे कुल रकवा-02.43 ए0 भूमि खरीदगी हासिल है। भूमि मापी के क्रम मे बैद्यनाथ चौधरी, दिलीप चौधरी पिता-वकील सिंह चौधरी सा0-काण्ड्रा द्वारा आपत्ति किया गया। केवाला में वर्णित चौहद्दी के आधार पर भूमि को माप कर स्थल पर चिन्हित कर दिया गया। मापी की गई भूमि को ट्रेश नक्शा मे लाल रंग से दर्शाया गया है। आयेदिका की भूमि का मापी कर सीमांकन कर दिया गया है। अंचल अमीन के प्रतिवेदन एवं ट्रेश नक्शा के आधार पर अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, चास।	